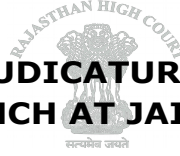




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13507/2025

1. Hanuman Chaudhary Son Of Shri Chhotu Lal, Aged About 27 Years, Resident Of Tihari Police Station Shrinagar District Ajmer (At Present In Central Jail Ajmer)
2. Bhagchand Chaudhary Son Of Shri Gopal, Aged About 24 Years, Resident Of Tihari Police Station Shrinagar District Ajmer (At Present In Central Jail Ajmer)

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Shriram & Mr. Ravi Kumar yadav for Mr. Harendra Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP Mr. Aayush Agarwal

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

12/11/2025

प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना श्री नगर जिला अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 147/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 190, 191(2), 109(1), 333, 115(2) बी.एन.एस. में पेश किया गया है।

प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क दिया कि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण लंबे समय से अभिरक्षा में हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। परिवादी पक्ष द्वारा प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को चोटें पहुंचाई गई, जिसमें प्रार्थीगण-अभियुक्तगण हनुमान चौधरी और भागचंद चौधरी के शरीर पर चोटें आई हैं। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के विरुद्ध आपसी रंजिश के चलते झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण से कोई



बरामदगी शेष नहीं है, अतः प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक तथा विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि इस प्रकरण में प्रार्थीगण-अभियुक्तगण ने शैतान, देवेन्द्र, बलराम व धर्मीचन्द और सोहन लाल के शरीर के विभिन्न भागों पर कई चोटें पहुंचाई हैं, जिसमें से शैतान व बलराम की 2 चोटें गंभीर प्रकृति की, धर्मीचन्द के एक चोट गंभीर प्रकृति की तथा सोहन लाल की 4 चोटें गंभीर प्रकृति की बताई हैं। सोहन लाल के सिर के दाहिने पैर दाहिने हाथ में व बायी तरफ की पसलियों में अस्थिभंग हुआ है। उक्त गंभीर चोटों के कारण सोहन 14 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा है और उसके 26 टांके आए हैं। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है, अतः प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

मैंने दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में परिवादी देवेन्द्र ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई उसके अनुसार दिनांक 20.09.2025 को शाम 7 बजे वह अपने घरवालों के साथ खाना खा रहा था तो पुरानी रंजिश के तहत 10-12 व्यक्ति एक साथ एक राय होकर आए और उनके ऊपर कुल्हाड़ी और लकड़ी से हमला कर दिया। घटना की रिपोर्ट में प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का नाम भी बताया गया है। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान बलराम, देवेन्द्र, सोहनलाल, शैतान के शरीर पर जो चोटें आईं और उनके कपड़ों पर जो खून आया, वे कपड़े आहतगण से बरामद हुए हैं। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने एक पेनड्राइव जब्त किया है, जिसमें देवेन्द्र ने फोन के द्वारा जो वीडियो बनाया उक्त वीडियो में प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का परिवादी पक्ष के साथ लकड़ियों के साथ मारपीट करना बताया गया है। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण से लकड़ी या बरामद हुई है। साक्षीगण ने धारा 180 बीएनएसएस के बयान में आहत सोहन लाल के सिर में व पैर में व हाथ पर



और अन्य आहतगण शैतान, देवेन्द्र, बलराम, व धर्मीचन्द शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोट आना बताया गया है, जिसमें सोहन लाल को 4 गंभीर उपहति कारित हुई हैं, जिसमें चोट संख्या 1 प्राणघातक बताई गई है। सोहन लाल का 14 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहना तथा 26 टांके आने के तथ्य सामने आए हैं। बलराम के चोट प्रतिवेदन प्रपत्र में चोट संख्या 2 गंभीर प्रकृति की है। शैतान के चोट प्रतिवेदन प्रपत्र में चोट संख्या 1 व 2 गंभीर प्रकृति की हैं और धर्मीचन्द के चोट प्रतिवेदन प्रपत्र चोट संख्या 1 गंभीर प्रकृति की बताई गई है। उक्त आहतगण व देवेन्द्र के शरीर पर अन्य चोटें साधारण प्रकृति की बताई गई हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आपराधिक अपराध गंभीर प्रकृति का है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. हनुमान चौधरी पुत्र श्री छोदु लाल तथा 2. भागचंद चौधरी पुत्र गोपाल** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J